

30/11/22



परावली वेरा इरि। वकील उमप वहा  
उवस्वित। वकील भपीलांट ने हापिग पत्र  
आदेशा 23 नियम। CPC व धारा 151  
CPC का धर्पिना पत्र प्रस्तुत कर भपील  
को विद्रो करे का निवेदन किया गया।  
वकील रैस्पो. हाप धर्पिना पत्र पर (ने  
आठपेनशन) (कोई भापति जाहिर नहीं की  
गयी है) भतः श्रीमान जी के समक्ष

विचाराधीन भपील उकरण विद्रो करे को  
आदेशा करमाता जे। भतः अधिकवता भपीलार्थी  
द्वारा भपील विद्रो करे पर भपील इली  
स्तर पर खारिज की जाती है आदेशिरा  
की पुति संवंधित तहसीलदार को भेजी  
जावे। परावली कैसल शुमार की जाकर  
बाद तफील दाखिल दफतर हो।  
आदेशा खुले -पापालप मे शुमाया

गया ✓

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतकर्ता)  
श्रीगंगानगर

अंलि नील.  
धरती पर  
अपील लिफ्टा  
कामे भादव है  
30/11/22

